(15)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 43/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम

1. भंवर पुत्र स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. अर्जन पुत्र स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. भीमा पुत्र स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. बलबीर पुत्र स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
5. केसर पुत्री स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
6. श्रंगारी पुत्री स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
7. कानी पत्नी स्व0 श्री हरबक्स, जाति–जाट, निवासी–मुण्डौता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
8. चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर। (मृतक)
   - 8/1 किशन पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल नाबालिग प्राकृतिक सरंक्षक, माता पुष्पा देवी, जाति–ब्राह्मण, ग्राम दुर्जनियावास, तह0–जयपुर।
   - 8/2 पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री चिरंजीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी– ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
   - 8/3 आशा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा पुत्री स्व0 श्री चिरंजीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गुढा सुरजन, तहसील–आमेर।
   - 8/4 संगीता पुत्री श्री स्व0 चिरंजीलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक, माता पुष्पा देवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
   - 8/5 मंशा पुत्री श्री स्व0 चिरंजीलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक, माता पुष्पा देवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
   - 8/6 ज्योति पुत्री श्री स्व0 चिरंजीलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक, माता पुष्पा देवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

6

9. नवरत्न पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
10. चांदा देवी पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर (मृतक)।
    - 10/1 नवरत्न पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

न्यायालय अति. कलक्टर • जयपुर •

Scanned by CamScanner

10/2 कलावती पत्नी श्री ब्रजमोहन शर्मा पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम आशावाला, तहसील–सांगानेर।

10/3 सुलोचना पत्नी श्री साधुनारायण शर्मा पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–राधापुरा पो0 राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

10/4 बालू पत्नी श्री शिवशंकर शर्मा, पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्दरावजी का रास्ता, पहला चौराहा धर्मशाला के पीछे, चांदपोल बाजार, जयपुर।

10/5 मंजू पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल शर्मा, पुत्री श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम राधापुरा पो0 राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

10/6 सन्तोष पत्नी श्री सूरज शर्मा पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी– ग्राम राधापुरा पो0 राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

10/7 आचुकी पत्नी श्री कमलेश शर्मा पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–मनोहरपुरा, तहसील–सांगानेर।

10/8 रामधनी पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–आशावाला, तहसील–सांगानेर।

11. भगवान पुत्र स्व0 श्री भूरा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

11/1 शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री भगवान सहाय, जाति–ब्राह्मण, निवासी–61ए, रामनगर–बी, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर।

11/2 रामबाबू शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय, जाति–ब्राह्मण, निवासी–61ए, रामनगर–बी, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर।

11/3 लक्ष्मण शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय, जाति–ब्राह्मण, निवासी–61ए, रामनगर–बी, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर।

11/4 विद्या देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय पत्नी श्री पवन शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–अग्रवाल धर्मशाला के पास, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

12. जटाशंकर पुत्र स्व0 श्री भूरा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

13. रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 28.08.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–दुर्जनियावास की आराजी खसरा नं0 34 रकबा 01 बिस्वा, आ0ख0नं0 35 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आ0ख0नं0 152 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आ0ख0नं0 153 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा व आ0ख0नं0 154 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि समस्त खातेदारान देह माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत, रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत, रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के बजाय वर्तमान में भूरा वगैराह अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी बाके देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/ वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त माफीदार दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारियों के नाम इनके विरासत के नामान्तरकरण तत्पश्चात् विक्रय के फलस्वरूप क्रेतागण के नाम हस्तांतरित होकर दर्ज राजस्व अभिलेख है, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होकर काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी बाके देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

Scanned by CamScanner

(18)

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत, रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के दिन पुजारीगण अथवा हाल अप्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में "काश्तकार" के कॉलम में अंकित नहीं था। मंदिर श्री रूगनाथ जी के अंकनों को विलोपित कर अप्रार्थीगण के नाम के अंकन किये गये हैं, जबकि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री रूगनाथ जी की कब्जे काश्त एवं खुदकाश्त की खातेदारी की आराजी होने से व मंदिर मूर्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (क) तथा धारा 5(25) के परन्तुक के प्रयोजन से शाश्वत नाबालिग की स्थिति में है और इस प्रकार की भूमि पर पुजारी या प्रबंधक को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं हो सकते है और ना ही इस प्रकार की भूमि का किसी प्रकार से अंतरण ही किया जा सकता है। मंदिर श्री रूगनाथ जी की भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये अंकन व मंदिर श्री रूगनाथ जी के अंकनो को विलोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरीत माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी पुजारी भूरा रामनाथ पि0 गणपत रामेश्वर पि0 मु0 दाना, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में निजी खातेदारी भंवर वगैरह अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से

Scanned by CamScanner

(19)

शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री रूगनाथ जी वाके देह खुदकाश्त माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। प्रार्थी को दिनांक 23.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

Scanned by CamScanner